शाली इट्टमान

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस: नियंत्रण किसके हाथ में?

यह प्रश्न केवल इस तक सीमित नहीं है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल का निर्माण किसने किया। वास्तविक प्रश्न यह है कि यह तय कौन करता है कि कौन-सा डेटा प्रासंगिक माना जाएगा, त्रुटि की स्वीकार्य सीमा क्या होगी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली के विफल होने की स्थिति में उसका बोझ या नुकसान किसे उठाना पड़ेगा।

वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट न तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उत्साह के दबाव में आया और न ही निष्क्रिय बैठा रहा। इसने बीच का रास्ता अपनाया और बड़े-बड़े दावे या दिखावटी घोषणाएं करने के बजाय क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

सरकार के एआई दृष्टिकोण को मोटे तौर पर तीन भागों में देखा जा सकता है। पहला, बड़े पैमाने पर आधारभूत तैयारी–कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार, डेटा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना तथा व्यापक डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देना। दूसरा, मानव संसाधन पर निवेश कौशल विकास, पुनः कौशल प्रशिक्षण तथा सरकारी अधिकारियों को भी एआई और मशीन लर्निंग से परिचित कराना। (एक रोचक तथ्यः बजट के साथ प्रस्तुत आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में सांख्यिकी अधिकारियों को भी एआई प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया है–यह अप्रत्याशित था।) तीसरा, बजट एआई को कृषि जैसे व्यावहारिक और परीक्षण-योग्य क्षेत्रों की ओर निर्देशित करता है, जहां इसके परिणाम अपेक्षाकृत शीघ्र और स्पष्ट रूप से सामने आते हैं।

बजट में स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया?

एक फरवरी, 2026 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक स्थायी समिति के गठन की घोषणा की, जो यह आकलन करेगी कि उभरती प्रौद्योगिकियां-विशेष रूप से एआई-रोज़गार, कौशल और शिक्षा से रोज़गार की पूरी शृंखला को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने स्कूलों के पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने तथा श्रमिकों को रोज़गार और प्रशिक्षण अवसरों से जोड़ने में इसके उपयोग के संकेत भी दिए।

एक प्रमुख पहल 'भारत-विस्तार' (विजन फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर एडवांसमेंट एंड रीच) है-एक बहुभाषी एआई उपकरण, जिसे एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पैकेजों के साथ एकीकृत कर किसानों के लिए अनुकूलित परामर्श प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार, दिव्यांग सहारा योजना के अंतर्गत एआई

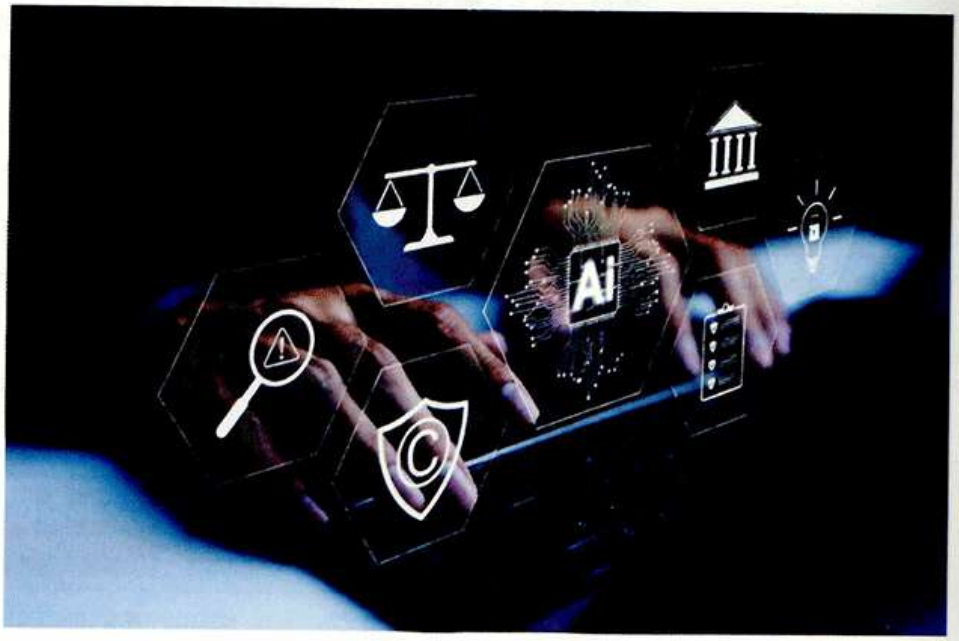

लेखक डिजिटल मीडिया सलाहकार और पत्रकार हैं, जिन्हें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और इसके परिणामों में गहरी रुचि है।
ईमेलः sittaman@gmail.com

और अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से सहायक उपकरणों के विस्तार और उनके वितरण हेतु सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट जैसे माध्यमों का प्रस्ताव किया गया है।

इन पहल के पीछे मूल संदेश स्पष्ट है-दिखावटी घोषणाओं से हटकर ऐसी प्रणालियों का निर्माण, जो निविदा प्रक्रिया, ऑडिट और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने की अव्यवस्था और जटिलताओं को सहन कर सकें।

लेकिन यह तो बस शुरुआत है।

निस्संदेह, इस बजट से असहमति जताना मुश्किल है। यह अपना काम बखूबी करता है। लेकिन 2027-28 के बाद, हमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों के स्पष्ट जवाब चाहिए होंगेः

एआई किसका है?

इसके नियम और शर्तें कौन तय करता है?

इससे वास्तविक लाभ किसे मिलता है?

और विफलता की स्थिति में उत्तरदायित्व किस पर आता है?

वास्तविकता यह है कि शुरुआती दौर में पहल करने वाले देशों के लिए एआई कोई तटस्थ तकनीक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार है। अमेरिका विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। चीन बड़े पैमाने पर इसके विस्तार पर जोर देता है, जबकि यूरोप नियामक ढांचा तैयार करता है तथा अपने नियमों और मानकों को वैश्विक स्तर पर लागू कराने का प्रयास करता है। जो देश सबसे पहले पहल करते हैं, वही मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं; शेष देशों को उन्हीं के परिणामों और प्रभावों को स्वीकार करना पड़ता है।

देर से अपनाने वाले देश केवल तकनीक को नहीं अपनाते, बल्कि उसके साथ जुड़ी निर्भरताएं भी विरासत में लेते हैं-जैसे डेटा मानक, विक्रेता की शर्तें तथा ऑडिट और अनुपालन ढांचे। परिणामस्वरूप, उन्हें ऐसे क्षेत्र में बातचीत करनी पड़ती है जहां नियम पहले से तय होते हैं और निर्णायक भी किसी अन्य के नियंत्रण में होते हैं। ऐसे में "क़दम मिलाकर चलना" केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ऐसी सशक्त संस्थागत व्यवस्थाओं के निर्माण पर निर्भर हो जाता है जो पूर्वनिर्धारित मानकों पर प्रश्न उठा सकें, उनका सम्यक मूल्यांकन कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनर्परिभाषित कर सकें।

परंतु यहां मूल चुनौती यह है कि संस्थागत प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत धीमी गति से कार्य करती हैं, जबकि बाज़ार तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। इसी अंतराल में अदृश्य निर्भरताएं धीरे-धीरे चुपचाप घुसपैठ कर जाती हैं और स्थायी हो जाती हैं।

भारत के सामने एआई का निर्णायक मोड़

स्वच्छ और विश्वसनीय डेटा, सुदृढ़ डिजिटल कनेक्टिविटी तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के बिना एआई का व्यापक और न्यायसंगत उपयोग संभव नहीं है। वर्तमान में भारत के विभिन्न हिस्सों में यह आधारभूत ढांचा अब भी असमान और अपूर्ण बना हुआ है।

हालांकि कुछ मत यह हैं कि एआई स्वयं उन समस्याओं का समाधान कर सकती है, जो उसके रास्ते में रुकावट बनती हैं। फिर भी इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि वही प्रणाली, जो किसी कमी को दूर करती है,यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय न हों तो वही प्रणाली, जो समस्या को ठीक करती है, समाज के सबसे कमजोर वर्गों को चुपचाप बाहर भी कर सकती है। एक गलत तरीके से चिह्नित फ़ाइल या एक अस्वीकृत संदेश किसी पात्र लाभार्थी को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर सकता है-वह भी बिना प्रभावी अपील व्यवस्था के।

रोज़गार सृजन का वादा भी इसी जटिल परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। कौशल विकास की अवधारणा नीतिगत दस्तावेज़ों में आकर्षक प्रतीत होती है, किंतु जब तक निजी क्षेत्र की भर्ती और सार्वजनिक खरीद प्रणालियां समान गति से आगे नहीं बढ़तीं, तब तक स्किलिंग कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर रह जाने का जोखिम उठाते हैं-नियत अच्छी, लेकिन अंततः खोखली।

कम से कम केंद्रीय बजट में 'एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज' पहल के माध्यम से इस अंतर्विरोध को स्वीकार किया गया है। यह प्रशिक्षण और वास्तविक रोज़गार सृजन के बीच मौजूद अंतर को रेखांकित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।

नैतिकता को न करें नज़रअंदाज़

नैतिकता कोई बाद में आया विचार नहीं है, बल्कि इसे पहले दिन से ही प्रणाली के मूल ढांचे में समाहित किया जाना चाहिए। इसमें सहमति से संबंधित स्पष्ट प्रोटोकॉल, निजता की सुरक्षा के उपाय, पक्षपात की नियमित ऑडिट व्यवस्था, जहां आवश्यक हो वहां मानवीय निगरानी, तथा प्रभावी और कार्यशील अपील तंत्र शामिल होने चाहिए। एक बार जब एआई प्रणालियां बड़े पैमाने पर लागू हो जाती हैं, तो बाद में उनमें सुधार या संशोधन करना नौकरशाही के लिए एक दुःस्वप्न बन जाता है।

इस दृष्टि से देखा जाए तो बजट 2026 का 'पहले क्षमता, बाद में विस्तार' वाला दांव सुरक्षित है। शायद समझदारी भरा भी। किंतु इसके बाद की दिशा में उन कठिन प्रश्नों का सामना करना अपरिहार्य होगा, जो सत्ता संतुलन, जवाबदेही, न्यायसंगतता तथा संस्थागत सुदृढ़ता से जुड़े हैं।

अंततः किसी आधुनिक होती हुई सरकार का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाता कि वह कितनी तेजी से स्वचालन करती है, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि वह उस प्रक्रिया में अपने नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की कितनी प्रभावी रूप से रक्षा करती है। ❑